सं0 9/02/2005 - बीपी एण्ड एल, खण्ड-III

भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
'ए' विंग,शास्त्री भवन,नई दिल्ली-110 001
****

दिनांक 26 नवंबर,2009

आदेश

केंद्रीय मंत्रिमण्डल के दिनांक 12 नवंबर, 2009 के निर्णय के अनुसरणार्थ, जिसके तहत हैडेन्ड-इन-द-स्काई (हिट्स) सेवा को भारत में अनुमति दी गई है, भारत में हिट्स सेवाओं को प्रचालित करने हेतु दिए गए दिशानिर्देशों को अनुलग्नक के रूप में जारी किया जा रहा है । ये दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे । इनकी एक प्रति को जनसामान्य एवं स्टेकहोल्डरों के सूचनार्थ मंत्रालय की वेबसाइट (www.mib.nic.in) पर भी पोस्ट कर दिया गया है ।

(अरविंद कुमार)
निदेशक (बीपी एण्ड एल)
दूरभाषः 23381863

संलग्नकः यथोपरि

प्रतिलिपि प्रेषितः

1. कैबिनेट सचिव,मंत्रिमण्डल सचिवालय ।
2. सचिव, दूरसंचार विभाग, दूरसंचार तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ।
3. गृह सचिव, गृह मंत्रालय ।
4. सचिव, अंतरिक्ष विभाग ।
5. सचिव, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) ।
6. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग ।
7. सचिव, संचार तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)
8. सचिव, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ।
9. सचिव, औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नति विभाग ।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती ।
11. सचिव, ट्राई ।

अनुलग्नक

भारत में हेडेंड - इन - दि - स्काई (हिट्स) प्रसारण सेवा उपलब्ध कराने हेतु दिशा निर्देश

प्रस्तावना :-

सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार ने भारत से "हेडेंड - इन - दि - स्काई (हिट्स)" प्रसारण सेवा स्थापित और परिचालित करने हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए नीतिगत दिशा निर्देश तैयार किए हैं ।

हेडेंड - इन - दि - स्काई (हिट्स) सेवा प्लेटफार्म को स्थापित और परिचालित करने की इच्छुक कंपनियों के लिए इन दिशा निर्देशों के तहत निर्धारित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार सूचना और प्रसारण मंत्रालय से अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित होगा ।

हेडेंड - इन - दि - स्काई (हिट्स) प्रसारण सेवा का संबंध बहु-चैनल डाउनलिंकिंग और सी-बैंड या कू बैंड में टेलीविजन कार्यक्रम के वितरण से है जिसमें सभी सशुल्क चैनलों को एक केंद्रीय सुविधा केंद्र (हब/टेलीपोर्ट) पर डाउनलिंक किया जाता है और चैनलों की इनक्रिप्शन के बाद उपग्रह से पुनः अपलिंक किया जाता है । केबल हेडेंड (शीर्ष छोर) पर एकल उपग्रह एंटीना की मदद से इन इनक्रिप्टिड सशुल्क चैनलों को डाउनलिंक किया जाता है, ट्रांसमॉड्यूलेट किया जाता है और केबल/ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क संबंधी अवसंरचना वाली भूमि आधारित प्रसारण प्रणाली का प्रयोग करके इन्हें उपभोक्ताओं को भेजा जाता है ।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से हिट्स लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात् विषय-वस्तु खरीदने के लिए हिट्स परिचालक स्वयं विभिन्न प्रसारकों के साथ संविदा कर सकता है, इसे एक भू-केंद्र पर एकत्रित करके उसके द्वारा किराए पर लिए गए उपग्रह पर अपने इनक्रिप्शन से अपलिंक कर सकता है । तत्पश्चात, अपलिंक किए गए चैनलों को अंतिम मील परंपरागत केबल नेटवर्क के जरिए आगे टी वी घरों को प्रसारित करने हेतु डिश एंटिना के प्रयोग से केबल आपरेटरों द्वारा डाउनलिंक किए जाने की अनुमति दी जाती है । इस मॉडल में, हिट्स परिचालक एक परंपरागत बहु-प्रणाली संचालक की तरह कार्य करता है, इसमें शीर्ष-छोर भूमि पर होने की बजाए वस्तुतः आकाश में होता है ।

हिट्स परिचालक, उपग्रह पर ट्रांसपोंडर की जगह, भू-केंद्र सुविधाएं, पूरे देश में केबल आपरेटरों द्वारा आगे टी वी घरों को प्रसारित करने और डाउनलिकिंग हेतु अपने हिट्स उपग्रह पर टी वी चैनलों को अपलिंक करने के इच्छुक केबल आपरेटरों/बहु-प्रणाली संचालकों के संघ अथवा एक या एक से अधिक बहु-प्रणाली संचालकों को विभिन्न इनक्रिप्शन प्रणालियों सहित विभिन्न बहु-प्रणाली संचालकों द्वारा एकत्रित चैनलों की साइमलक्रिप्टिंग/मल्टीक्रिप्टिंग हेतु प्रावधान जैसी निष्क्रिय अवसरंचनात्मक सुविधाएं ही मुहैया कराने का भी निर्णय ले सकता है। इस मामले में हिट्स परिचालक को विषय-वस्तु के लिए प्रसारकों के साथ संविदा करने की आवश्यकता नहीं है। वह केवल ऐसे एक या एक से अधिक बहुप्रणाली संचालकों अथवा केबल प्रसारकों के संघ के साथ ही संविदा करता है जो कि अपने एकीकृत चैनलों को हिट्स भू - केंद्र (केंद्रों) से हिट्स उपग्रह पर

अपलिंक करने के इच्छुक हैडेंड - इन - दि - स्काई (हिट्स) प्रसारण सेवा उपलब्ध कराने हेतु दिशा निर्देश

प्रस्तावना :-

सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार ने भारत से □हेडेंड - इन - दि - स्काई (हिट्स)ऊ प्रसारण सेवा स्थापित और परिचालित करने हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए नीतिगत दिशा निर्देश तैयार किए हैं ।

हेडेंड - इन - दि - स्काई (हिट्स) सेवा प्लेटफार्म को स्थापित और परिचालित करने की इच्छुक कंपनियों के लिए इन दिशा निर्देशों के तहत निर्धारित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार सूचना और प्रसारण मंत्रालय से अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित होगा ।

हेडेंड - इन - दि - स्काई (हिट्स) प्रसारण सेवा का संबंध बहु-चैनल डाउनलिंकिंग और सी-बैंड या कू बैंड में टेलीविजन कार्यक्रम के वितरण से है जिसमें सभी सशुल्क चैनलों को एक केंद्रीय सुविधा केंद्र (हब/टेलीपोर्ट) पर डाउनलिंक किया जाता है और चैनलों की इनक्रिप्शन के बाद उपग्रह से पुनः अपलिंक किया जाता है । केबल हेडेंड (शीर्ष छोर) पर एकल उपग्रह एंटीना की मदद से इन इनक्रिप्टिड सशुल्क चैनलों को डाउनलिंक किया जाता है, ट्रांसमॉड्यूलेट किया जाता है और केबल/ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क संबंधी अवसंरचना वाली भूमि आधारित प्रसारण प्रणाली का प्रयोग करके इन्हें उपभोक्ताओं को भेजा जाता है ।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से हिट्स लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात् विषय-वस्तु खरीदने के लिए हिट्स परिचालक स्वयं विभिन्न प्रसारकों के साथ संविदा कर सकता है, इसे एक भू-केंद्र पर एकत्रित करके उसके द्वारा किराए पर लिए गए उपग्रह पर अपने इनक्रिप्शन से अपलिंक कर सकता है । तत्पश्चात, अपलिंक किए गए चैनलों को अंतिम मील परंपरागत केबल नेटवर्क के जरिए आगे टी वी घरों को प्रसारित करने हेतु डिश एंटिना के प्रयोग से केबल आपरेटरों द्वारा डाउनलिंक किए जाने की अनुमति दी जाती है । इस मॉडल में, हिट्स परिचालक एक परंपरागत बहु-प्रणाली संचालक की तरह कार्य करता है, इसमें शीर्ष-छोर भूमि पर होने की बजाए वस्तुतः आकाश में होता है ।

हिट्स परिचालक, उपग्रह पर ट्रांसपोंडर की जगह, भू-केंद्र सुविधाएं, पूरे देश में केबल आपरेटरों द्वारा आगे टी वी घरों को प्रसारित करने और डाउनलिंकिंग हेतु अपने हिट्स उपग्रह पर टी वी चैनलों को अपलिंक करने के इच्छुक केबल आपरेटरों/बहु-प्रणाली संचालकों के संघ अथवा एक या एक से अधिक बहु-प्रणाली संचालकों को विभिन्न इनक्रिप्शन प्रणालियों सहित विभिन्न बहु-प्रणाली संचालकों द्वारा एकत्रित चैनलों की साइमलक्रिप्टिंग/मल्टीक्रिप्टिंग हेतु प्रावधान जैसी निष्क्रिय अवसरंचनात्मक सुविधाएं ही मुहैया कराने का भी निर्णय ले सकता है। इस मामले में हिट्स परिचालक को विषय-वस्तु के लिए प्रसारकों के साथ संविदा करने की आवश्यकता नहीं है। वह केवल ऐसे एक या एक से अधिक बहुऱ्प्रणाली संचालकों अथवा केबल प्रसारकों के संघ के साथ ही संविदा करता है जो कि अपने एकीकृत चैनलों को हिट्स भू - केंद्र (केंद्रों) से हिट्स उपग्रह पर अपलिंक करने के इच्छुक हैं।

ये दिशानिर्देश हिट्स परिचालक को अपनी एकीकृत विषय-वस्तु के लिए और अन्य बहु-प्रणाली संचालकों को उनकी एकीकृत विषय-वस्तु की अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग हेतु निष्क्रिय अवसरंचना उपलब्ध कराने के लिए हिट्स परिचालक को अपने उपग्रह की ट्रांसपोडर क्षमता का उपयोग करने की स्वतंत्रता मुहैया कराते हैं ।

हिट्स सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2003 में अनुमति प्रदत्त दो अनुमतिधारक शेष अवधि के लिए अपनी सेवाएं जारी रखेंगे तथा उनके द्वारा हिट्स सेवाओं का परिचालन इन दिशा-निर्देशों में निर्धारित निबंधन व शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

1 पात्रता मापदंड :

1.1 हिट्स सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अनुमति मांगने वाली आवेदक कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत भारत में पंजीकृत एक कंपनी होगी ।

1.2 कंपनी की न्यूनतम निवल राशि दस करोड़ रूपये होनी चाहिए । निवल राशि को इन दिशानिर्देशों के अनुलग्नक- I में दिए गए प्रपत्र के अनुसार परिकलित किया जाएगा और कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा ।

1.3 आवेदन करते समय और अनुमति प्रदान करते समय कंपनी में होने वाली प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और पोर्टफोलियो सहित कुल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश 74 % से अधिक नहीं होगा । प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश के परिकलन की प्रणाली सरकारी की मौजूदा नीति के अनुसार होगी । कंपनी को ऐसी विदेशी धारिता की स्थिति बतानी होगी और यह प्रमाणित करना होगा कि विदेशी निवेश, वार्षिक आधार पर 74 % की उच्चतम सीमा के भीतर है ।

1.4 49 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, स्वचालित पद्धति पर जारी रहेगा । विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफ आई पी बी) यदि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की संबद्धता 74 प्रतिशत की समग्र उच्चतम सीमा से है तो कंपनी/भारतीय संवर्द्धकों/निवेश कंपनियों सहित उनकी धारक कंपनियों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफ आई पी बी) के अनुमोदन की आवश्यकता होगी ।

1.5 आवेदन करते समय कंपनी, शेयरधारक-करारों, ऋण-करारों और ऐसे आवेदन जिन्हें अंतिम रूप दिया जाता है अथवा जिन पर हस्ताक्षर किया जाना प्रस्तावित है, का पूर्ण प्रकटन करेगी । इनमें किए गए किन्हीं उत्तरवर्ती परिवर्तनों, जिनकी संबद्धता पूर्ववती करारों से है, का परिवर्तन किए जाने के 15 दिनों के भीतर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के समक्ष प्रकटन किया जाएगा ।

1.6 प्रसारक कंपनी (कंपनियों) और/अथवा डी टी एच लाइसेंसधारी कंपनी (कंपनियों) को सामूहिक रूप से अनुमति अवधि के दौरान किसी भी समय कंपनी में कुल प्रदत्त इक्विटी के

20 % से अधिक धारिता या स्वामित्व की अनुमति नहीं दी जाएगी । इसके साथ-साथ, हिट्स अनुमति धारक को प्रसारण कंपनी और/अथवा डी टी एच लाइसेंसधारी की कंपनी में 20 % इक्विटी हिस्सेदारी से अधिक की धारिता/स्वामित्व नहीं होना चाहिए । इसके अतिरिक्त, हिट्स कंपनी/अनुमति धारक कंपनी में 20 % से अधिक इक्विटी धारित करने वाली कोई कंपनी या व्यक्ति किसी अन्य प्रसारण कंपनी (कंपनियों) और/अथवा डी टी एच अनुमति धारक कंपनी में 20 % से अधिक इक्विटी धारित नहीं करेगा और यह विलोमतः भी अनुप्रयोज्य होगा । तथापि, यह प्रतिबंध वित्तीय संस्थागत निवेशकों पर लागू नहीं होगा । तथापि, एक हिट्स अनुमति धारक कंपनी और एक बहु-प्रणाली संचालक कंपनी के बीच इक्विटी धारिताओं पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा ।

1.7 उपर्युक्त पैरा 1.6 के अनुसार किसी कंपनी या संस्था या व्यक्ति की अंशधारिता निर्धारित करते समय इसकी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों अंशधारिता को ध्यान में रखा जाएगा। अप्रत्यक्ष अंशधारिता के स्तर का निर्धारण करते समय अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के दिनांक 13.02.09 के प्रैस नोट 2 में, अपनाए गए सिद्धांत व विधि-प्रणाली का ही प्रयोग किया जाएगा।

2. अनुमतियों की संख्या :

हिट्स हेतु अनुमतियों की कुल संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और सरकार के उपयुक्त प्राधिकरणों द्वारा सुरक्षा और तकनीकी अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिए जाने के अध्यधीन पात्रता मापदंड एवं अनिवार्य निबंधन व शर्तों को पूरा करने वाली किसी भी कंपनी को अनुमति प्रदान की जाएगी ।

3. अनुमति की अवधि

3.1 हिट्स सेवा उपलब्ध कराने की अनुमति संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बेतार आयोजना एवं समन्वय स्कंध द्वारा बेतार परिचालन लाइसेंस (डब्ल्यू ओ एल) के जारी होने की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी ।

3.2 अनुमति को पहले भी समाप्त किया जा सकता है जैसा कि पैराग्राफ 10 और 13 में प्रावधान है ।

3.3 सरकार द्वारा विशिष्ट पूर्वानुमति दिए जाने की स्थिति को छोड़कर कंपनी को प्रदान की गई अनुमति गैर-हस्तांतरणीय होगी ।

4. गैर-प्रतिदेय प्रवेश शुल्क और अन्य शुल्क

4.1 आवेदक को 10 करोड़ रूपये के गैर - प्रतिदेय प्रवेश शुल्क का भुगतान करना होगा ।

4.2 किसी वार्षिक शुल्क के भुगतान की आवश्यकता नहीं होगी ।

4.3 इसके अतिरिक्त, कंपनी/अनुमति धारक, दूरसंचार विभाग के अंतर्गत आने वाले बेतार आयोजना एवं समन्वय प्राधिकरण (डब्ल्यू पी सी) द्वारा यथा निर्धारित प्रयोग में लाए गए स्पेक्ट्रम के लिए रॉयल्टी और लाइसेंस शुल्क का भी भुगतान करेगा ।

5. बैंक प्रत्याभूति

5.1 आवेदक कंपनी, डब्ल्य पी सी द्वारा एस ए सी एफ ए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के एक माह के भीतर सूचना और प्रसारण मंत्रालय को तीन वर्ष की अवधि के लिए मान्य 40 करोड़ रूपये की राशि के लिए अधिसूचित प्रपत्र में किसी अनुसूचित बैंक से एक बैंक प्रत्याभूति प्रस्तुत करेगी ।

5.2 हिट्स ऑपरेटर को बेतार परिचालन लाइसेंस प्राप्त करने के बाद डब्ल्यू पी सी द्वारा एस ए सी एफ ए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग परिचालन शुरू कर देना चाहिए जिसे करने में विफल रहने पर आधी बैंक प्रत्याभूति जब्त कर ली जाएगी ।

5.3 यदि परिचालक डब्ल्यू पी सी द्वारा एस ए सी एफ ए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए जाने की तारीख से दो वर्ष के भीतर सेवा शुरू नहीं करता है तो पूर्ण निष्पादन बैंक प्रत्याभूति जब्त कर ली जाएगी और डब्ल्यू पी सी द्वारा एस ए सी एफ ए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी होने की तारीख से दो वर्ष पूरे हो जाने पर अनुमति को रद्द करने पर भी विचार किया जाएगा ।

5.4 यदि हिट्स अनुमति धारक, डब्ल्यू पी सी द्वारा एस ए सी एफ ए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के एक वर्ष के भीतर सेवा शुरू करने का दायित्व पूरा करता है तो निष्पादन बैंक प्रत्याभूति की पूरी राशि लौटा दी जाएगी । यदि हिट्स अनुमति धारक एक वर्ष के बाद लेकिन डब्ल्यू पी सी द्वारा एस ए सी एफ ए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए जाने की दो वर्ष की अवधि की भीतर सेवा शुरू करने का दायित्व पूरा करता है तो आधी निष्पादन बैंक प्रत्याभूति लौटा दी जाएगी ।

6 मूल शर्तें और दायित्व

6.1 कंपनी के बोर्ड में अधिकांश निदेशक भारतीय नागरिक होंगे । कंपनी के निदेशकों, प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी ई ओ) और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सी एफ ओ) को गृह मंत्रालय से सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना होगा । कंपनी में निदेशक, मुख्य कार्यपालकों के पदों अथवा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में किए जाने वाले परिवर्तनों के बारे में कंपनी ऐसे परिर्वन करने के 15 दिन के भीतर सूचना और प्रसारण मंत्रालय को हर हाल में सूचित करेगी ।

6.2 कोई भी अनुमति धारक अपनी हिट्स सेवा में ऐसा टेलीविजन प्रसारण या चैनल प्रसारित या शामिल नहीं करेगा जो कि भारतीय क्षेत्र के भीतर देखने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा पंजीकृत नहीं हैं । अनुमति धारक और प्रसारक (प्रसारकों)/टी वी चैनल के मालिक (मालिकों) के बीच हुए किसी करार के निरपेक्ष जब भी यह पंजीयन/अनुमति वापिस ली जाती है तो अनुमति धारक अपनी हिट्स सेवा में टी वी चैनलों को प्रसारित/शामिल करने से रोकेगा ।

6.3 अनुमतिधारक, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिबंधित किसी भी चैनल का प्रसारण नहीं करेगा ।

6.4 कंपनी ऐसे प्रसारक के किसी भी चैनल का प्रसारण नहीं करेगी जिसके खिलाफ सक्षम प्राधिकरण या किसी विनियामक निकाय, अधिकरण या न्यायालय ने निम्नलिखित बातें पायी हों :-

(i) भारत में प्रसारण सेवाओं को अभिशासित करने वाले नियमों, विनियमों आदि के विपरीत किसी अन्य प्रसारण सेवा प्रदाता को बिना किसी भेद-भाव के सुलभ कराने से इंकार करना।

(ii) प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम सहित प्रतिस्पर्द्धा से संबंधित किसी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया हो ।

{व्याख्या: अपने नेटवर्क पर किसी भी चैनल का प्रसारण करने से पहले यह सुनिश्चित करना अकेले अनुमति धारक की जिम्मेदारी होगी कि कोई टेलीविजन चैनल प्रसारक उपर्युक्त शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाया गया है या नहीं । प्लेटफॉर्म पर पहले से ही प्रसारित किए जा रहे टी वी चैनलों के संबंध में अनुमति धारक सरकार, ट्राई, अधिकरण अथवा न्यायालय सहित प्रत्येक स्रोत से यह सुनिश्चित करेगा कि संबंधित प्रसारक या चैनल ने उपर्युक्त शर्तों का उल्लंघन किया है । यदि ऐसा कोई उल्लंघन उसकी जानकारी में आता है तो अनुमति धारक ऐसे प्रसारक के टेलीविजन चैनलों का प्रसारण उसी समय बंद कर देगा ।

6.5 अनुमति धारक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा प्रसारित प्रत्येक चैनल केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 तथा इसके तहत बनाए नियमों के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता अथवा अनुप्रयोज्य किसी अन्य संहिता का अनुपालन करते हैं ।

6.6 अनुमति धारक, निरपवाद रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि सेवा के उपभोक्ताओं की पहुंच हिट्स प्लेटफॉर्म के जरिए किसी पोर्नोग्राफिक चैनल अथवा गुप्त/राष्ट्र विरोधी संदेशों और ऐसी ही अन्य चीजों तक नहीं हो । यदि अनुमति धारक ऐसा करने में विफल रहता है तो की गई अनुमति रद्द की दी जाएगी और कंपनी को अन्य अनुप्रयोज्य कानूनों के तहत दंड

दिए जाने के लिए उत्तरदायी होने के अलावा पांच वर्ष की अवधि के लिए भविष्य में ऐसी कोई अनुमति लेने के लिए अयोग्य ठहरा दिया जाएगा ।

6.7 अनुमति धारक यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी सुविधाओं का उपयोग भारत के कानूनों के विरूद्ध किसी आपत्तिजनक विषय-वस्तु, संदेश या सम्प्रेषण के प्रसारण के लिए नहीं किया जाए । यदि अनुमतिधारक ऐसा करने में विफल रहता है तो दी गई अनुमति रद्द कर दी जाएगी और कंपनी को अन्य अनुप्रयोज्य कानूनों के तहत दंड दिए जाने के लिए उत्तरदायी होने के अलावा पांच वर्ष की अवधि के लिए भविष्य में ऐसी कोई अनुमति लेने के लिए अयोग्य ठहरा दिया जाएगा ।

6.8 अनुमति धारक, बिना किसी भेदभाव के विभिन्न विषय-वस्तु प्रदाताओं/चैनलों को सुलभ कराएगा ।

6.9 टी वी चैनलों का वितरण करने के लिए अनुमति धारक कोई अनन्य करार नहीं करेगा ।

6.10 अनुमति धारक डब्ल्यू पी सी स्कंध, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने वाले बेतार परिचालन लाइसेंस के निबंधन एवं शर्तों का अनुपालन करेगा ।

6.11 कंपनी, अनुमति की पूरी अवधि के दौरान यथा अनुप्रयोज्य अपनी सतत पात्रता सुनिश्चित करेगी और अनुमति के सभी निबंधन एवं शर्तों का अनुपालन करेगी जिसके न करने पर नीचे पैराग्राफ 14.2 में यथा विनिर्दिष्ट शास्ति लगाए जाने के लिए कंपनी उत्तरदायी होगी।

6.12 सरकार के पास हिट्स प्रदाता द्वारा अपनी सेवा में अनिवार्य प्रसारण हेतु टेलीविजन चैनल या प्रसार भारती के चैनलों या किसी अन्य टेलीविजन चैनल के नाम और उनकी संख्या और ऐसे चैनलों के अभिग्रहण और पुनर्प्रसारण के तरीके को अधिसूचित करने का अधिकार होगा ।

6.13 अनुमति धारक, किसी अन्य चैनल को पेश किए गए सर्वाधिक अनुकूल वित्तीय निबंधनों के अनुसार प्रसार भारती के अन्य टेलीविजन चैनलों का प्रसारण करेगा ।

7. प्रसार भारती के साथ कतिपय प्रसारण सिगनलों की अनिवार्य साझेदारी

7.1 अनुमति धारक यह सुनिश्चित करेगा उसके द्वारा प्रसारित चैनलों ने खेल-कूद प्रसारण सिगनल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य साझेदारी) अधिनियम, 2007 के प्रावधानों का अनुपालन अवश्य किया गया हो ।

8. तकनीकी मानक और अन्य दायित्व

8.1 आवेदक कंपनी, प्रसारण, वितरण और अभिग्रहण प्रणाली के लिए उपयोग में लाए जाने वाले उपस्करों/उपकरणों के विनिर्माताओं का नाम और पता, मॉडल, निर्माण, नामावली

जैसा तकनीकी ब्यौरा, ब्लॉक संक्षिप्त आरेख प्रस्तुत करेगी और 90 दिनों के लिए अनुवीक्षण और रिकार्ड भंडारण हेतु सुविधाओं का प्रदर्शन भी करेगी ।

8.2 कंपनी केवल 'सी' बैंड या 'कू' बैंड में ही अपलिंक कर सकती है । भारतीय और विदेशी उपग्रहों दोनों को अपलिंकिंग की अनुमति दी जाएगी । तथापि, यदि कंपनी के पास अपनी या अपनी समूह - कंपनी का उपग्रह नहीं है तो भारतीय उपग्रह का उपयोग करने की परिकल्पना करने वाले प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाएगी । उपयोग में लाए जाने वाले उपग्रह का समन्वय इंसेट प्रणाली के साथ होना चाहिए ।

8.3 हिट्स ऑपरेटर को पंजीकृत बहु-प्रणाली संचालकों/केबल आपरेटरों को ही अपने उपग्रह से सीधे सिगनल उपलब्ध कराने चाहिए और किसी भी परिस्थिति में हिट्स ऑपरेटर द्वारा अपने उपग्रह से सीधे उपभोक्ता को सिगनल उपलब्ध नहीं कराए जाने चाहिए । तथापि, उसे सिगनलों को पहले उसके स्थलीय अभिग्रहण स्टेशन पर डाउनलिंक करने के बाद उसके अपने केबल नेटवर्क, यदि कोई हो के जरिए उपभोक्ताओं को भी सिगनल उपलब्ध कराने से नहीं रोका जाएगा। सिगनल केवल क्यू ए एम सेट टॉप बॉक्स के जरिए ही उपलब्ध कराए जाने होंगे।

8.4 कंपनी को अपने सेट टॉप बॉक्सों के संदर्भ में वाणिज्यिक अंतर प्रचालनीयता उपलब्ध करानी होगी ताकि यदि उपभोक्ता किसी अन्य सेवा प्रदाता अथवा प्लेटफार्म में जाने का निर्णय लेते हैं तो वे ऐसा न्यूनतम कीमत पर कर सकें । यहां वाणिज्यिक अंतर-प्रचालनीयता का अर्थ यह होगा कि उपभोक्ताओं को पूर्णतया क्रय आधार पर अभिग्रहण सेट की पेशकश करने के अतिरिक्त उनके पास ट्राई द्वारा जारी विनियमनों के तहत यथा निर्धारित ऐसे निबंध एवं शर्तों पर सेट टॉप बॉक्सों का लौटाने के प्रावधान के साथ अभिग्रहण सेट को किराया क्रय आधार पर खरीदने अथवा किराया आधार पर लेने का भी विकल्प होना चाहिए ।

8.5 प्रत्येक उपभोक्ता को उपलब्ध करायी गई संबोधनीयता को अनुमति धारक द्वारा किसी अवांछित चैनल या चैनलों के समूह का प्रसारण रोकने में समर्थ होना चाहिए।

8.6 फलोत्पादक, प्रभावनीय और सही बिल तैयार करने हेतु और वसूली प्रणाली के लिए उपभोक्ता प्रबंधन प्रणाली (एस एम एस) के जरिए कंपनी उपभोक्ताओं की रूचियों का ध्यान रखेगी।

8.7 कंपनी ऐसी किसी उपस्कर को प्रयोग नहीं करेगी जिसे गैर कानूनी अभिनिर्धारित किया गया है/अथवा जो नेटवर्क सुरक्षा को असुरक्षित बना दे।

8.8 उपभोक्ताओं को हिट्स सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई सारी विषय-वस्तु, इसके स्रोत के निरपेक्ष, भारतीय भूमि पर स्थित भू-केंद्र के भीतर अवस्थित इनक्रिप्शन और डिजिटल संबोधनीय प्रणाली से होकर जाएगी।

9. अनुवीक्षण और लोक शिकायतें

9.1 कंपनी अपने स्वयं के खर्च पर .. ..

(i) प्रसारण सामग्री की रिकॉर्डिंगों को प्रसारण की तारीख से तीन माह की अवधि के लिए परिरक्षित रखें और जब भी आवश्यक हो सरकार या इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष इसे प्रस्तुत करें ।

(ii) सरकार या इसके प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मांगे जाने पर सरकार या इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के पर्यवेक्षण के तहत प्रसारण सेवा की सतत् मॉनीटरिंग हेतु नामोद्दिष्ट स्थान (नों) पर आवश्यक उपस्कर, सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराना ।

9.2 कंपनी सरकार या इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जैसा भी अपेक्षित हो, समय-समय पर यथा-अपेक्षित प्रारूप में अपनी सेवाओं के संबंध में ऐसी सूचना प्रस्तुत करेगी ।

10 निरीक्षण

10.1 भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय या इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के पास प्रसारण सुविधाओं का निरीक्षण करने का अधिकार होगा । निरीक्षण करने के लिए सरकार या इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को अधिकार का प्रयोग करने के लिए कोई पूर्व अनुमति/ सूचना अपेक्षित नहीं होगी । यदि सरकार या इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अपेक्षित हो तो कंपनी, कंपनी के क्रियाकलापों और परिचालनों के किसी विशेष पहलू हेतु सतत् मॉनीटरिंग के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगी ।

10.2 भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय या इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि उन परिस्थितियों को छोड़कर जहां ऐसा नोटिस देने से निरीक्षण का प्रयोजन ही समाप्त हो जाएगा, यथोचित नोटिस देने के पश्चात् साधारण ढंग से निरीक्षण करेंगे ।

11. राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य शर्तें

11.1 भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में अथवा आपातकाल या युद्ध अथवा छिट-पुट विवाद में कंपनी को पूर्व नोटिस दिए बिना विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अनुमति धारक की समस्त सेवाओं और नेटवर्क का कार्य अपने हाथ में लेने अथवा कंपनी की अनुमति का प्रतिसंहरण/ समाप्त/ निलंबित करने अथवा किसी एक चैनल या सभी चैनलों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार होगा । कंपनी इस संबंध में जारी किए गए सभी निदेशों का तत्काल अनुपालन करेगी जिसमें असफल रहने पर प्रदान की गई अनुमति का प्रतिसंहरण कर दिया जाएगा और कंपनी पांच वर्षों की अवधि के लिए भविष्य में ऐसी अनुमति का धारण करने के लिए अपात्र हो जाएगी ।

बशर्ते लाइसेंस को जब्त करना या निलंबन, यथा-उपरोल्लिखित निदेश को जारी करना न तो लाइसेंस अवधि के विस्तार हेतु और न ही प्रतिपूर्ति का आधार होगा ।

11.2 कंपनी किसी भी ऐसे उपस्कर का प्रयोग नहीं करेगी जिन्हें गैर-कानूनी के रूप में अभिज्ञात किया जाता हो और / या जो नेटवर्क की सुरक्षा को असुरक्षित बनाते हों ।

11.3 अनुमति धारक के लिए सभी विदेशी कार्मिकों की सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अपेक्षित होगा जिन्हें उनकी तैनाती से पहले अधिष्ठापन, रखरखाव, परिचालन या अन्य किन्हीं सेवाओं हेतु किसी अन्य सामर्थ्य पर नियुक्ति, संविदा और परामर्श के माध्यम से एक वर्ष में 60 दिनों से अधिक के लिए तैनात किए जाने की संभावना है ।

11.4 अनुमति, अनुमति धारक के अध्यधीन होगी और शेष सुरक्षा को अनुमति के प्रचलन के दौरान अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया । यदि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जाता है तो प्रदान की गई अनुमति उसी समय रद्द मानी जाएगी ।

11.5 यदि अनुमति धारक से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति या विदेशी कार्मिक को सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र से किसी भी कारण से इंकार कर दिया जाता है तो अनुमति धारक यह सुनिश्चित करेगा कि संबंधित व्यक्ति सरकार से ऐसे निदेश प्राप्त करने के पश्चात् तुरंत त्यागपत्र दे दे या अपनी सेवाएं समाप्त कर दें, जिसमें असफल रहने पर प्रदान की गई अनुमति का प्रतिसंहरण कर दिया जाएगा और कंपनी पांच वर्षों की अवधि के लिए भविष्य में ऐसी अनुमति धारण करने के लिए अपात्र हो जाएगी ।

12. मूल्य आवर्धित सेवाएं

12.1 अनुमति धारक अन्य मूल्य आवर्धित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अपने नेटवर्क का प्रयोग करने में सक्षम होगा जिसके लिए अन्यथा कोई विशिष्ट लाइसेंस या अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। वो सेवाएं, जिनके लिए सक्षम प्राधिकारी से कोई विशिष्ट लाइसेंस या अनुमति अपेक्षित होती है, ऐसी अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही उपलब्ध करायी जा सकती हैं। तथापि, अनुमति-धारक को अपने द्वारा प्रसारित की जाने वाली मूल्य आवर्धित सेवाओं की पूर्व सूचना, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को देनी होगी।

13. मौजूदा अनुमति धारकों के संबंध में प्रावधानः

13.1 पहले जारी की गई अनुमति की निबंधन एवं शर्तों में अंतर्विष्ट किसी भी शर्त के निरपेक्ष ये दिशा-निर्देश मौजूदा अनुमति धारकों के लिए भी अनुप्रयोज्य होंगे ।

13.1.1 मौजूदा अनुमति धारकों को अपनी सेवाएं परिचालित करने की अनुमति तभी दी जाएगी जब वे इन दिशा-निर्देशों में अंतर्विष्ट सभी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बोर्ड संकल्प द्वारा समर्थित एक वचनपत्र इन दिशा-निर्देशों के जारी करने से तीन माह की अवधि में प्रस्तुत करेंगे, यह अवधि सरकार के विवेकानुसार अधिकतम छह माह तक बढ़ायी जा सकती है ।

13.1.2 मौजूदा अनुमति धारक दिशा-निर्देशों में अंतर्विष्ट प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इन दिशा-निर्देशों के जारी करने से एक माह के भीतर एक विस्तृत योजना प्रस्तुत करेगा । मौजूदा अनुमति धारक को 10 करोड़ रू. का गैर-प्रतिदेय प्रविष्टि शुल्क भी जमा कराना होगा और ऐसे निक्षेपण का प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा ।

13.1.3 यदि मौजूदा अनुमति धारक द्वारा 13.1.1 और 13.1.2 के प्रावधानों का निर्धारित समयावधि में अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो पहले दी गई अनुमति समाप्त समझी जाएगी।

13.1.4 पैरा 13.1.1 और 13.1.2 के अनुसार अनुमति की अवधि भारत सरकार द्वारा अनुमति के जारी करने की तारीख से दस वर्ष की होगी ।

14. अनुमति रद्द करना

14.1 <u>अनुमति के निबंधन एवं शर्तों का उल्लंघन करने के परिणाम :</u>

14.1.1 कंपनी द्वारा अनुमति के किसी भी निबंधन एवं शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर पैरा 6.6,6.7,11.1,11.4,11.5 और 14.2 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अध्याधीन, सरकार के पास निम्नलिखित शास्तियां अधिरोपित करने का अधिकार होगाः

(क) पहली बार उल्लंघन किए जाने पर अनुमति का आस्थगन और 30 दिन की अवधि के लिए प्रसारण पर प्रतिबंध ।

(ख) दूसरी बार उल्लंघन किए जाने पर अनुमति का आस्थगन और 90 दिन की अवधि के लिए प्रसारण पर प्रतिबंध ।

(ग) तीसरी बार उल्लंघन किए जाने पर अनुमति का रद्द किया जाना और अनुमति की शेष अवधि के लिए प्रसारण पर प्रतिबंध ।

(घ) अनुमति धारक द्वारा निर्धारित समय के भीतर अधिरोपित शास्तियों का अनुपालन करने में विफल रहने पर अनुमति का रद्द किया जाना और भविष्य में पांच वर्ष की अवधि के लिए कोई नई अनुमति धारित करने हेतु अयोग्यता ।

14.1.2 अनुमति का आस्थगन इसे रद्द किए जाने पर अनुमति धारक द्वारा सेवा पर किए गए निवेश अथवा उसकी अनुमति से किसी अन्य पक्षकार द्वारा किए गए निवेश के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी ।

14.1.3 उल्लंघन को अभिनिर्धारित करके, यदि इसका स्वरूप इस बात की इजाज़त दे तो इसमें सुधार करने का अवसर प्रदान करके अथवा अन्यथा 15 दिनों की अवधि के भीतर कारण

बताने के लिए कहते हुए कंपनी को लिखित में नोटिस देने के बाद इस पैरा के अंतर्गत उल्लिखित अनुमति का कोई आस्थगन इसे रद्द किया जाएगा और/ अथवा बताए गए कारण और ऐसे सुधार से संतुष्ट न होने पर अनुमति के प्रस्तावित आस्थगन/इसे रद्द किए जाने के लिए कंपनी उत्तरदायी होगी ।

14.2 अपात्रता का समापन

14.2.1 यदि कंपनी इन दिशा-निर्देशों में यथा-निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने में असफल रहती है या इसका सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जाता है या परिसमापन कार्यवाही शुरू कर दी जाती हैं अथवा दिवालिया या अन्यथा शोधाक्षम हो जाती है अथवा दिवालिया/ शोधाक्षम घोषित किए जाने के लिए आवेदन करती है बशर्ते ऐसा समाप्त किया जाना कार्रवाई को हानि या प्रमाणित न करे जोकि प्रोद्भूत हुआ हो या तत्पश्चात् सरकार को प्रोद्भूत हो सकेगा, तो सरकारी अनुमति धारक को क्षतिपूर्ति किए बिना इस करार और अनुमति को किसी भी समय समाप्त कर सकती है ।

14.3 सुविधा का समापन

14.3.1 सरकार के साथ-साथ सभी संबंधित/ प्रभावित पक्षकारों को एक माह पहले अग्रिम सूचना देकर कंपनी अनुमति को अभ्यर्पित कर सकती है। यह स्पष्ट किया जाता है कि कंपनी, सरकार को पहले से भुगतान किये गए अप्रतिदेय प्रवेश शुल्क की किसी भी तरह की वापसी का दावा करने के लिए पात्र नहीं होगी।

15. डब्ल्यू पी सी स्कंध की अनुमति

15.1 जैसा कि ऊपर उल्लिखित है आवेदक कंपनी द्वारा ऐसे लाइसेंस की सामान्य निबंधन एवं शर्तों के तहत हिट्स प्लेटफार्म/ सुविधा का रखरखाव और परिचालन, अधिष्ठापन हेतु उपयुक्त आवृत्तियों/ बैंड के उपयोग की अनुमति देते हुए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डब्ल्यू पी सी स्कंध से एक पृथक विशिष्ट लाइसेंस अर्थात् बेतार परिचालनात्मक लाइसेंस (डब्ल्यू ओ एल) प्राप्त किया जाएगा । ऐसे लाइसेंस को नियमों, प्रक्रियाविधियों और दिशानिर्देशों द्वारा अभिशासित किया जाएगा और यह डब्ल्यू पी सी स्कंध की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन करने के अध्यधीन होगा।

15.2 इस प्रयोजनार्थ "बेतार सलाहकार, भारत सरकार, डब्ल्यू पी सी स्कंध, दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय" को निर्धारित आवेदन-पत्र में आवेदन किया जाएगा।

15.3 आवृत्ति स्पेक्ट्रम के उपयोग के लिए लाइसेंस प्रदान किए जाने हेतु कंपनी द्वारा डब्ल्यू पी सी द्वारा समय-समय पर यथा-निर्धारित लाइसेंस शुल्क/ रायल्टी का भुगतान किया जाना होगा ।

15.4 कंपनी, रेडियो स्पेक्ट्रम के अन्य प्राधिकृत प्रयोक्ताओं के मामले में हानिकारक रूप से हस्तक्षेप नहीं करेगी । अन्य लाइसेंसधारी प्रयोक्ताओं के मामले में हानिकारक हस्तक्षेप, यदि कोई हो, को समाप्त करने हेतु व्यावहारिक और अनिवार्य कदम उठाने का विवेक सिर्फ डब्ल्यू पी सी स्कंध के पास होगा ।

15.5 बेतार योजना और समन्वय स्कंध, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पास बेतार परिचालनात्मक लाइसेंस शर्तों की अनुरूपता की जांच करने के लिए तकनीकी दृष्टि से अधिष्ठापन का समय-समय पर निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

16 आवेदन की प्रक्रिया और अनुमति प्रदान करना

16.1 सभी आवेदक कंपनियां एक लाख रूपये के प्रक्रिया शुल्क के बाद निर्धारित प्रपत्र में तीन प्रतियों में, सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय को आवेदन करेंगे ।

16.2. आवेदन पत्र में प्रस्तुत सूचना के आधार पर, यदि आवेदक भारत में एच आई टी एस (हिट्स) सेवा की स्थापना करने के लिए उपयुक्त पाया जाता है तो गृह मंत्रालय के परामर्श से निदेशक मंडल, प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सी.एफ.ओ. के परामर्श से कंपनी के सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र तथा अंतरिक्ष विभाग के साथ उपग्रह प्रयोग के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अध्यधीन होगा ।

16.3 इन अनापत्ति प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने के पश्चात् आवेदक द्वारा 10 करोड़ रूपये का अदेय प्रवेश शुल्क सूचना और प्रसारण मंत्रालय को देना अपेक्षित होगा ।

16.4 ऐसे प्रवेश शुल्क के भुगतान के पश्चात् आवेदक अनुमति प्राप्त करने के उद्देश्य से सूचना और प्रसारण मंत्रालय को सूचित करेगा और एस.ए.सी.एफ.ए. अनापत्ति के लिए डब्ल्यू पी सी के पास जाने हेतु अनुरोध करेगा ।

16.5 एस ए सी एफ ए अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात्, उक्त को एक माह के अंदर कंपनी तीन वर्षों की अवधि के लिए वैध किसी अनुसूचित बैंक से 40 करोड़ रूपये की राशि बैंक गारंटी अपेक्षित प्रपत्र में सूचना और प्रसारण मंत्रालय को देनी होगी ।

16.6 इस बैंक गारंटी को प्रस्तुत करने के पश्चात् आवेदक को निर्धारित प्रपत्र के अनुसार सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ अनुमति प्रदान करने के करार पर हस्ताक्षर करने होंगे ।

16.7 इसके पश्चात् सूचना और प्रसारण मंत्रालय जी ओ पी ए की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार, देश में हिट्स सेवाओं को मुहैया कराने के संबंध में आवेदक को अनुमति जारी करेगा ।

16.8 सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ ऐसे करार पर हस्ताक्षर करने के पश्चात् आवेदक को हिट्स सेवाओं की स्थापना, रखरखाव और प्रचालन करने के लिए बेतार परिचालनात्मक लाईसेंस लेने हेतु संचार मंत्रालय के बेतार योजना एवं समन्वय (डब्ल्यू.पी.सी.) स्कंध में आवेदन करना होगा।

16.9 सरकार को देय सभी प्रकार के शुल्कों और बकायों को वेतन एवं लेखा अधिकारी सूचना और प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली में देय के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के प्रारूप में जमा करवाना होगा ।

17. अन्य पक्षों के साथ विवाद

17.1 कंपनी और सरकार के अलावा किसी अन्य पक्ष के बीच कोई भी विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में, कारण चाहे जो भी हो, यह कंपनी की ही जिम्मेदारी होगी कि वह ऐसे विवादों को सौहार्दपूर्ण अथवा अन्यथा निपटाएगी और सरकार की इसमें कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी । इसके अलावा, कंपनी को पूर्ण सुरक्षा का आवश्वासन देना होगा और कंपनी, इसके एजेंटों, कर्मचारियों, प्रतिनिधियों या सेवकों की ओर से किसी चूक या आचरण के कार्य हेतु सरकार को/इसके खिलाफ किसी कार्रवाई, दावे, मुकदमा, कार्यवाही, नुकसान अथवा नोटिस के संबंध में सरकार को हानि से बचाएगी ।

बशर्ते कोई तीसरा पक्ष कंपनी द्वारा प्रावधान के अनुसार अनुमति का पालन न करने अथवा किसी नियम या विनियमन अथवा किसी अन्य निबंधन एवं शर्तों के कारण कोई विवाद उत्पन्न करती है तो इसमें उपबंध है कि सरकार को कंपनी के विरूद्ध भी कार्रवाई करने का अधिकार होगा ।

18. विवाद निपटान एवं अधिकार-क्षेत्र

18.1 इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत जारी अनुमति के संबंध में केंद्र सरकार और कंपनी के बीच कोई प्रश्न, विवाद अथवा मतभेद उत्पन्न होने के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के प्रावधानों के अनुसार दूरसंचार विवाद निपटारा और प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष उक्त का समाधान करने के लिए रखा जाएगा ।

18.2 सभी विवादों का निपटारा नई दिल्ली स्थित न्यायालय में होगा ।

19. विविध

19.1 अनुमति/पंजीकरण इस शर्त के अध्यधीन होगा कि देश में जब कभी प्रसारण सेवाओं को विनियंत्रित और मॉनीटर करने के लिए विनियामक प्राधिकरण का गठन होगा, कंपनी को उक्त प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों, नियमों और विनियमों का पालन करना होगा ।

19.2 अनुमति/पंजीकरण को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997, भारतीय बेतार अधिनियम 1885 और भारतीय बेतार टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया जाता है और प्रसारण सुविधाओं पर अनुप्रयोज्य किसी अन्य कानून, जो कि लागू हो गए हैं या होने वाले हैं, के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होंगे ।

19.3 सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास अनुमति के इन दिशा-निर्देशों और/ या निबंधन एवं शर्तों के प्रावधानों का किसी भी समय आशोधन करने का अधिकार होगा यदि सरकार की राय में राज्य की सुरक्षा के हित अथवा जनहित में ऐसा करना आवश्यक या समायोजित है । इस संबंध में सरकार का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा ।

*****